प्रेस–विज्ञप्ति
(दिनांक 05 सितम्बर 2022)

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे सोलर रूफटॉप कार्यक्रम फेज़–02 के प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु तैयार किये गये नेशनल पोर्टल की भांति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी नेशनल पोर्टल की प्रक्रिया को प्रदेश में लागू करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके दृष्टिगत सोलर रूफटॉप कार्यक्रम फेज़–02 के अन्तर्गत फर्मों के इम्पैनलमेंट एवं रेट डिस्कवरी हेतु आमंत्रित निविदा को यूपीनेडा द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में अनुमोदित व्यवस्था के अन्तर्गत एमएनआरई, भारत सरकार की सरलीकरण प्रक्रिया के अनुसार वेंडर्स/फर्मों से रु. 2.50 लाख की बैंक गारण्टी 05 वर्ष के लिए प्राप्त करते हुए 15 बिन्दुओं के निर्धारित प्रारूप (वेंडर्स द्वारा देय घोषणा–पत्र का प्रारूप) के अनुसार औपचारिकताएँ पूर्ण कर वेंडर्स/फर्मों के इम्पैनलमेंट/पंजीकरण की कार्यवाही यूपीनेडा द्वारा की जानी है। फर्मों द्वारा 15 बिन्दुओं का निर्धारित प्रारूप 100 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यूपीनेडा द्वारा इम्पैनल्ड/पंजीकृत वेंडर्स स्वतः ही प्रदेश के समस्त डिस्कॉम में इम्पैनल्ड/पंजीकृत माने जाऐंगे और वेंडर्स द्वारा अलग–अलग डिस्कॉम को परफार्मेंस बैंक गारण्टी (पीबीजी) अतिरिक्त रूप से देने की आवश्यकता नही होगी। वेंडर्स का पंजीकरण/इम्पैनलमेंट एक वर्ष हेतु अनुमन्य होगा जिसका वार्षिक रूप से नवीनीकरण कराया जा सकेगा। विस्तृत जानकारी यूपीनेडा मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 15 बिन्दुओं का निर्धारित प्रारूप (वेंडर्स द्वारा देय घोषणा–पत्र का प्रारूप) यूपीनेडा की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। वेंडर्स के पंजीकरण की कार्यवाही दिनांक 06 सितम्बर 2022 को यूपीनेडा की वेबसाइट www.upneda.org.in के माध्यम से प्रारम्भ की जा रही है।